



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/47/2019- **395**

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री राजेश सिंह,
पिता-स्व. श्री विरेन्द्र सिंह,
ग्राम-जलालपुर, पोस्ट-धरमपरसा,
जिला-गोपालगंज।

पटना 14, दिनांक- **21/06/2024**

विषय- श्री राजेश सिंह द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत बिस्वम्भरापुर ग्राम के खाता संख्या- 43, खेसरा संख्या-423/ 529/451, 528/451, 527, थाना संख्या-165, अंचल-मांझा, SH-47 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.01215 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/39940/2019/3898, दिनांक 13.04.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 782, दिनांक 04.09.2020

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/39940/2019/3898, दिनांक 13.04.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 12 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदालोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया है। लगभग 04 वर्षों के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जो खेदजनक है।

2. इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आकलन रु. 287 प्रति मा.दि. के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रु. 410 प्रति मा.दि. किया गया है।

अतएव सैद्धांतिक स्वीकृति के कंडिका-2 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 410/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 8,94,632/- (आठ लाख चौरानवे हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 410 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतये होगा।

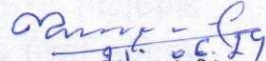
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा NPV मद की राशि की दर में संशोधन किया गया है। तदालोक में सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के कंडिका-3(a) के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल- 0.01215 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 11,637/- (ग्यारह हजार छः सौ सैतीस रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेंसी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 8,94,632.00 (+) रु. 11,637.00 अर्थात कुल रु. 9,06,269.00 (नौ लाख छः हजार दो सौ उनहत्तर रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची के प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका-01 से 12 तक अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

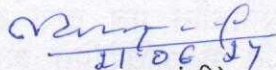

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/47/2019- 395

दिनांक 21/06/2024

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूर्क वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 410/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

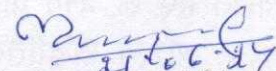

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/47/2019- 395

दिनांक 21/06/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।